कॉलोनियों में व्यापारियों ने खुद गिराए शटर

नगर निगम ने नहीं कीं दुकानें सील, दिन में बंद रहते हैं और शाम को खुल जाते हैं प्रतिष्ठान

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 2 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी में कई बड़े प्रतिष्ठानों पर संकट आ गया है, क्योंकि अधिकतर बड़े प्रतिष्ठानों के शोरूम रहवासी कॉलोनी में ही संचालित हो रहे हैं.वहीं रहवासी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने की कार्रवाई से प्रसन्न नजर आ रहे हैं.

नगर निगम ने शुक्रवार से इन्हें सील बंद करने की कार्रवाई शुरू की थी, जो लगातार रविवार को भी जारी रही. इस कार्रवाई से जहां अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित अन्य कॉलोनी के रहवासियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि नगर निगम ने सील करने की कार्रवाई नहीं की है.संचालकों ने खुद अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया. साथ ही नगर निगम ने जारी नोटिसों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश उल्लेख ही नहीं किया है. जो उल्लेख है वह दूसरे आदेश का है. हालांकि नगर निगम के दो दर्जन से अधिक कर्मचारी इन प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर रहे हैं. अगर प्रतिष्ठान शुरू किए गए तो संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की जाना है, जिसमें व्यवसायी अपना पक्ष रखेंगे. लेकिन जब तक यह सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखना है.साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नगर निगम को सभी प्रतिष्ठानों पर सील करना है न कि सिर्फ तालाबंदी करना है. अभी नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे रहवासी संतुष्ट नही हैं.

नगर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के कर्मचारी ने बताया कि कुछ व्यवसायी ई-2, 66, ई-2, 68 और ई-4, 99 के अलावा अन्य हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं. इस वजह से उनको सील नहीं किया जा रहा है. लेकिन वह स्वयं ही शटर बंद कर रहे हैं.

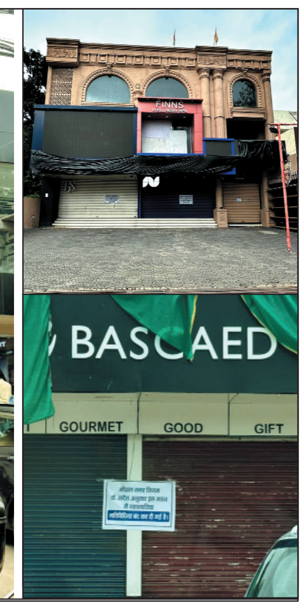

रविवार तक की गई कार्रवाई

पहले चरण का सर्वे और नोटिस की कार्रवाई

- अरेरा कॉलोनी - 169
- रोहित नगर - 260
- कुल 429

दूसरे चरण का सर्वे

- बैरागढ़, कोलार रोड, चूना भट्टी, मन्नीपुरम, इंद्रपुरी, गिन्नौरी, करोंद, लाल घाटी, अशोक गार्डन से 80 फीट रोड और कोहेफिजा इलाके किया गया. जहां पर 1250 अधिक चिन्हित किए गए हैं. अब उनको नाटिस देने की तैयारी है.

परिसर बंद करने के लिए की गई कार्रवाई (पिछले दो दिनों में)

- सील किया गया 02 (रोहित नगर)
- स्वेच्छा से बंद / पंचनामा - 34 + 02 = 36 (रोहित नगर)
- स्वेच्छा से बंद / पंचनामा - 29 + 34 = 63 (अरेरा कॉलोनी)

कुल बंद किए गए परिसर - 101

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को दी राहत

रविवार देर शाम सभी व्यवसायी संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की. उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा. बताया जाता है कि चर्चा में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया गया है. जिससे सोमवार से सभी प्रतिष्ठान शुरू होने की संभावना है. हालांकि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. लेकिन अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित अन्य रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चल रही कार्रवाई के बीच दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

गौतम नगर में प्रदर्शन

गौतम नगर में रविवार को संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान गौतम नगर के अध्यक्ष मोहन खरपते और सोमकांत उमलकर ने कहा कि कई आवासीय भूखंडों पर होटल, हॉस्टल और चाय-सुट्टा बार संचालित हो रहे हैं. इससे देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है.

रहवासी बोले- आवासीय कॉलोनियों में नहीं हों व्यावसायिक गतिविधियां

आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो पूरे देश में लागू होगा. अरेरा कॉलोनी में कुछ व्यवसायी हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए हैं. उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला ही नहीं दिया है. वहीं नगर निगम ने जो नोटिस जारी किए हैं, उसमें में किसी दूसरे आदेश का हवाला दिया गया है. जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है. उस आदेश का उल्लेख नहीं किया गया. 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, जिसमें कार्रवाई की पूरी जानकारी देना है. अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही संज्ञान ले सकता है. इसमें किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. निगम द्वारा प्रतिष्ठान सील नहीं किए जा रहे हैं. व्यवसायी दिन में दुकान बंद कर देते हैं और रात को खोल लेते हैं. आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद होना चाहिए.

विनीत गोधा, एडवोकेट, अरेरा कॉलोनी

इस कार्रवाई से हमको कुछ राहत मिलेगी. व्यावसायिक गतिविधियों से शोरगुल होता रहता था. वाहनों की आवाजाही से सभी परेशान रहते थे. इस मामले को लेकर पहले भी निगम में शिकायतें की जा चुकी थीं लेकिन कोई कार्रवाई की गई. कुछ लोगों ने तो बिना परमीशन के ही पांच मंजिल तक बना लिए हैं. निगम कर्मचारी इनकी निगरानी नहीं करते. अगर अवैध व्यवसाय और निर्माणों पर निगरानी की जाए तो आगे इस तरह की समस्या नहीं होगी.

शांतनु शर्मा, ई-3 अरेरा कॉलोनी अध्यक्ष रेजिडेंशियल एंड वेलफेयर सोसाइटी

अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होने से पर्यावरण तथा ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा आती है. रहवासियों को व्यावसायिक गतिविधियां होने से मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. प्रतिष्ठानों की वजह से कई ऐसी गतिविधियां संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से रहना मुश्किल होता जा रहा है जैसे शराब की दुकान, होटल, हॉस्पिटल, क्लीनिक जैसे वेबसाइट की वजह से आवाज आई अधिक बढ़ जाती है.

हर्षवर्धन गुप्ता, ई-5 186 अरेरा कॉलोनी

समय-समय पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था. आवासीय क्षेत्र में चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों का विरोध प्रकट करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां को तत्काल बंद कराया जाए.

शुभ्रा गोयल, रहवासी, शाहपुरा कॉलोनी एसोसिएटेड

नगर निगम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन दिखावटी रूप से कुछ देर के लिए दुकानों पर पर्दा डलवाकर फोटो वीडियो शूट कर न्यायालय के समक्ष पेशकर उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. अब रहवासी उन्हीं खुली दुकान का वीडियो फोटो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

लवनीश भाटी , ई- 4 अरेरा कॉलोनी

अरेरा कॉलोनी में वर्षों से आवासीय प्लॉटों पर व्यावसायिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे पार्किंग, ट्रैफिक व स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं. आवासीय क्षेत्र का उपयोग मुख्यत: निवास के लिए होना चाहिए, परंतु जिन परिवारों की आजीविका इन व्यवसायों से जुड़ी है, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है .अत: मेरा सुझाव है कि प्रशासन शीघ्र स्पष्ट नीति जारी करे, पुराने व्यवसायों के लिए सीमित अवधि तय करे और वैकल्पिक स्थानांतरण के लिए सहयोगात्मक समाधान अपनाए. इससे कॉलोनी की शांति बनी रहेगी और प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण अवसर मिलेंगे.

पंकज श्रीवास्तव, ई-3 अरेरा कॉलोनी

आवासीय क्षेत्रों में अनियंत्रित व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगना चाहिए, ताकि आवासीय क्षेत्र की मूल पहचान बनी रहे. भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार प्राप्त है. आवासीय क्षेत्र में अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधि से यातायात, पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा, तथा बच्चों और बुजुर्गो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

अशोक खरे, ई-2 अरेरा कॉलोनी

इस निर्णय से क्षेत्र की साफ-सफाई, कानून व्यवस्था बनी रहेगी. यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए, ताकि शहर का नियोजित विकास हो सके.

अतीस कुमार, ई - 2 अरेरा कॉलोनी

शोरगुल और दुर्घटना की आशंका

आवासीय कॉलोनी का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि वहां आराम से शांतिपूर्वक रह सकें. व्यावसायिक गतिविधियों से देररात तक शोर होता रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा होती है. वहीं हर तरह के वाहनों का आना जाना लगा रहता है.जिससे दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है. साथ ही कॉलोनी में सभी तरह के वाहन पार्क होते हैं तो कॉलोनीवासियों के वाहनों निकलने में परेशानी होती है.

महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

भोपाल. शाहपुरा थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर में रहने वाली 32 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, प्रियंका मेहरा (32) ईश्वर नगर में अपने परिवार के साथ रहती थीं. कंपनी की वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था के कारण वह घर से ही काम करती थीं. परिजनों ने बताया कि शनिवार दोपहर तक प्रियंका सामान्य थीं और परिवार के साथ बातचीत कर रही थीं. शाम करीब चार बजे वह काम करने के लिए ऊपर स्थित कमरे में चली गईं. थोड़ी समय बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे तो वह फंदे पर लटकी मिलीं. उन्हें तत्काल फंदे से उतारकर चूनाभट्टी स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड से दहशत

कुत्तों को पकड़ने विशेष अभियान चलाएगा नगर निगम

05 साल में नसबंदी-टीकाकरण पर 8 .56 करोड़ खर्च

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 2 अगस्त. राजधानी की सड़कों और रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. सुबह-शाम कई इलाकों में कुत्ते दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के पीछे दौड़ते नजर आते हैं.

डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं ने नगर निगम की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में फरवरी तक भोपाल में 23,363 कुत्तों की नसबंदी और 29,766 कुत्तों का एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जा चुका था. वहीं 2024-25 में 21,452 कुत्तों की नसबंदी और 26,427 कुत्तों का टीकाकरण हुआ था. पिछले पांच वर्षों में नगर निगम ने नसबंदी और टीकाकरण पर 8.56 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं. इसके बावजूद डॉग बाइट के मामलों में अपेक्षित कमी नहीं आई है.

रिपोर्टों के मुताबिक, शहर में रोजाना बड़ी संख्या में लोग कुत्तों के काटने के बाद एंटी-रेबीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नसबंदी पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुत्तों का व्यापक टीकाकरण, कचरा प्रबंधन और लगातार निगरानी भी जरूरी है.शहरवासियों का कहना है कि बाजार, कॉलोनियों और कचरा पॉइंट के आसपास कुत्तों के झुंड अधिक दिखाई देते हैं. ऐसे में नगर निगम को वार्डवार अभियान चलाकर समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए.

इनका कहना है

नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे कि नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

मालती राय, महापौर

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

भोपाल, 2 अगस्त. बैरसिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, अभिषेक वाल्मीकि (25) मूल रूप से गुना जिले के बीबाखेड़ी, बीनागंज का निवासी था और मजदूरी करता था. वह इन दिनों करोंद के कैलाश नगर में रह रहा था. बताया गया कि 26 जुलाई की शाम अभिषेक अपने फूफा के घर प्रतापगढ़ जाने के लिए बाइक से निकला था. शाम करीब साढ़े पांच बजे रमगढ़ा-भोजपुरा मार्ग पर उसकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. घायल अभिषेक को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार रात उसकी मौत हो गई.

मां की मार से बचने गढ़ी थी अपहरण की कहानी

दो बच्चियों के अपहरण के प्रयास का मामला

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 अगस्त. कटारा हिल्स क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों के कथित अपहरण के प्रयास का मामला पुलिस जांच में झूठा निकला.

जांच के दौरान न तो सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि मिली और न ही बच्चियों के बताए हुलिये से मेल खाने वाले लोग दिखाई दिए. बाद में बच्चियों ने स्वीकार किया कि घर देर से पहुंचने पर मां की मार से बचने के लिए उन्होंने अपहरण के प्रयास की कहानी गढ़ी थी. दोनों बच्चियां एक ही स्कूल में छठवीं कक्षा में पढ़ती हैं। दोनों सहेली हैं। घर भी आसपास है.

पुलिस के अनुसार 9 और 10 वर्ष की दो बच्चियों ने परिजनों को बताया था कि शनिवार शाम करीब पांच बजे जंगल के पास खेलते समय तीन नकाबपोश युवक और गोद में बच्चा लिए एक महिला उन्हें जबरन ले जाने का प्रयास कर रहे थे. सूचना मिलने पर कटारा हिल्स थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. तीन टीमों का गठन किया गया और आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच में कहीं भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई. शनिवार देर रात एक बच्ची ने अपनी मां को बताया कि वह और उसकी सहेली खेलते-खेलते घर देर से पहुंची थीं. डांट के डर से दोनों ने मिलकर अपहरण के प्रयास की झूठी कहानी बना ली थी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी.

सजगता जाम और तेज डीजे की शिकायत पर पहुंची टीम

होटल में चल रही पार्टी पुलिस ने कराई बंद

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 अगस्त श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने रविवार शाम लेक व्यू स्थित विंड एंड वेव्स होटल में चल रही एक पार्टी को बंद करा दिया. पुलिस के अनुसार होटल के बाहर बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी. इसके अलावा तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत भी मिली थी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पार्टी को बंद करा दिया. पार्टी बंद कराने की कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी रही कि कार्रवाई करने पहुंचे पुलिसकर्मी थोड़ी देर बाद अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी आयोजन में शामिल होने चले गए. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार होने के कारण लेक व्यू क्षेत्र में पहले से ही लोगों की आवाजाही अधिक थी. इसी दौरान विंड एंड वेव्स होटल में आयोजित पार्टी में करीब 200 लोग शामिल हुए थे. पार्टी में डीजे चल रहा था और होटल के बाहर सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन पार्क कर दिए गए थे, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा. पुलिस ने आयोजकों को समझाइश देकर पार्टी बंद कराई. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया.

टेंट खोलते समय गिरने से मजदूर की मौत

भोपाल, 2 अगस्त. रातीबड़ थाना पुलिस ने टेंट खोलने के दौरान मजदूर की मौत के मामले में टेंट संचालक के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु कारित करने का मामला दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके चलते हादसा हुआ.पुलिस के अनुसार, 19 जून को सीहोर निवासी खुशीलाल मांझी (55) ग्राम मुंगालिया छाप में एक कार्यक्रम के बाद टेंट खोलने का काम कर रहे थे. इसी दौरान वह टेंट की सीलिंग से नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर के पीछे गंभीर चोट आई. उन्हें जिला अस्पताल सीहोर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

गर्लफ्रेंड को रुतबा दिखाने प्रेमी बना कार चोर

गश्त कर रही पुलिस ने मालिक की कार चोरी करते किया गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 अगस्त. गर्लफ्रेंड के सामने रुतबा दिखाने की चाह ने एक युवक को कार चोर बना दिया. पेशे से ड्राइवर युवक खुद को कार डीलर बताकर प्रेमिका पर रौब जमाता था. पहले वह मालिक या किराये की कार से उसे घुमाता रहा, लेकिन बाद में उसने अपने पूर्व मालिक की कार की नकली चाबी बनवा ली.

छह महीने तक सही मौके का इंतजार करने के बाद तेज बारिश वाली रात कार चोरी की कोशिश की, लेकिन गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की सतर्कता से आरोपी अनिल मीणा को पकड़ लिया गया. बागसेवनिया थाना पुलिस के मुताबिक कोकता बायपास निवासी 28 वर्षीय अनिल मीणा ड्राइवरी करता है. करीब दो साल पहले पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. पिछले पांच-छह महीने से इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती अशोका गार्डन क्षेत्र की एक युवती से हुई थी. प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए वह खुद को कार डीलर बताता था. अब आरोपी पुलिस गिरफ्त में है.